SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

अंक-3, खण्ड-3, जुलाई - सितम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भाषायी विवाद: एक विश्लेषण

आलोक कुमार पाण्डेय
सह-प्राध्यापक (इतिहास)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषायी विविधता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु बनाया गया एक शिक्षा नीति संबंधी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य छात्रों को मातृभाषा, एक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा सिखाना है। इसे की शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था और नई 1968 में इसे लचीले 2020 शिक्षा नीति स्वरूप में पुनः लागू करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में इसे हिंदी थोपने का प्रयास मानते हुए विरोध किया गया है। इसके क्रियान्वयन में शिक्षकों की कमी, राजनीतिक मतभेद और भाषायी असमानता जैसी समस्याएं रही हैं। यदि इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण और भाषायी संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए, तो यह नीति राष्ट्र की एकता और बहुभाषावाद को सशक्त बना सकती है।

कुंजीभूत शब्द

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, त्रिभाषा फार्मूला, भाषाई विविधता, बहु भाषावाद, बहुसांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय भाषा।

शोध विस्तार

भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भाषा नीति को लेकर समयसमय पर देश में विभिन्न बहसें होती रही है। इन्हीं बहसों में से एक - त्रिभाषा फार्मूला है, जो शिक्षा नीति और भाषा संरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा नीति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया। हाल ही में यह विषय फिर से चर्चा में आया है। क्योंकि नई राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 ने त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की सिफारिश की है। इस नीति के आलोचकों का कहना है कि इससे हिंदी और संस्कृत के वर्चस्व को बढ़ावा मिलेगा, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह फार्मूला छात्रों को बहुभाषी और वैश्विक नागरिक बनने में मदद करेगा। भाषा फार्मूले का घोषित उद्देश्य भाषाई विविधता को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और सांस्कृतिक समझ विकसित करना है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान कई विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह विवाद और बढ़ सकता है? और इसे केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में किसी तरह से देखा जा सकता है? इसके अलावा क्या ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अपनी भाषा के साथ-साथ तीसरी भाषा की आवश्यकता है? क्या हिंदी तीसरी भाषा के रूप में भारत के संघीय ढांचे के लिए अहम है?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तमिलनाडु में कथित हिंदी थोपने का विरोध नया नहीं है। 1937 में पहली बार हिंदी अनिवार्य करने की कोशिश का भारी विरोध हुआ था और ब्रिटिश सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा था। वर्ष 1937 में मद्रास में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसका जस्टिस पार्टी ने विरोध किया था। हिंदी के विरोध में हुए आंदोलन में थालामुथु और नटराजन नाम के दो युवकों की जान चली गई थी। बाद में वह हिंदी विरोधी आंदोलन के प्रतीक बन गए। इस विरोध के आगे झुकते हुए राजा जी को इस्तीफा देना पड़ा था। वही 1960 के दशक में भी जब देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की समय सीमा आई तो तमिलनाडु में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगा थे। हिंदी विरोधी इस आंदोलन में पुलिस करवाई और आत्मदाह की घटनाओं में करीब 70 लोगों की जान चली गई थी

त्रिभाषा फार्मूला पहली बार वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था।[1] इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी मातृभाषा के अन्य भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा (आमतौर

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor SJIF 2025 – 5.306
अंक-3, खण्ड-3, जुलाई - सितम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

पर अंग्रेजी) सीखने का था। यह फार्मूला मुख्य रूप से भारत की बहुभाषी संरचना को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था ताकि सभी भाषाओं को उचित महत्व मिल सके। हालांकि इस नीति के लागू होने के बाद दक्षिण भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। विशेष कर तमिलनाडु में, जहां हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किए जाने के प्रयासों का विरोध हुआ। इसके परिणामस्वरुप तमिलनाडु सरकार ने हिंदी को शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह हटा दिया और दो-भाषा फार्मूला अपनाया। 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में भी त्रिभाषा फार्मूला जारी रहा।[2] लेकिन इसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इस फार्मूले के तहत स्कूलों में बच्चों को तीन भाषा पढ़ाने की बात कही गई थी। जिसमें अंग्रेजी हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा शामिल है। यह त्रिभाषा फार्मूला गैर हिंदी राज्यों के लिए था। नई शिक्षा नीति 2020 में इस फार्मूले को और अधिक लचीला बनाया है। अब राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी भाषा नीति तय करें, हालांकि हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है।

मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रांतीय भाषाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव की रूपरेखा तैयार की है। इसके तीन उल्लेखनीय पहलू है पहला, साक्षरता की शुरुआत भाषा मातृभाषा में होनी चाहिए गौर कीजिए इसमें भाषा बनाम बोली के भेदभाव का मसाला नहीं है क्योंकि यह शिक्षा को अधिक प्रभावी बनती है। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटे समुदाय द्वारा बोली जाती है तो शिक्षा की भाषा बच्चों की अगली सबसे परिचित भाषा होनी चाहिए। यह सोच पूरे देश में हर भाषा को बढ़ावा देगी। दूसरा, यदि शिक्षा मातृभाषा में नहीं मिल पा रही तो मतलब किताबें उसे भाषा में उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक और स्कूल मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई के सेतु बनेंगे। यह पूर्व की सोच से अलग है क्योंकि पहले क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर दंडित किया जाता था और तीसरा बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा। असल में नई शिक्षा नीति सभी मातृ भाषाओं को आधिकारिक वैधता प्रदान करती है इसके तहत किसी भी भाषा को

दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। यह तथाकथित हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा पढ़ने की चुनौती का भी समाधान है। गौरतलब है कि हिंदी भाषी राज्य इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? यदि वह इसका बेहतर उपयोग कर सके तो यह नीति न सिर्फ हमारी भाषायी विरासत को आगे बढ़ाएगी बल्कि इससे शिक्षा में सुधार भी होगा।[3]

त्रिभाषा फार्मूला पर विवाद और आलोचना

तमिलनाडु लंबे समय से दो भाषा प्रणाली अपने हुए हैं और हिंदी को अनिवार्य कीए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु ने हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का विरोध किया। उनका मानना था कि यह हिंदी को थोपने का एक प्रयास है। त्रिभाषा फार्मूला हिंदी भाषी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं हुआ। क्योंकि वहां तीसरी भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषाएं सीखने की बाध्यता नहीं थी। कई गैर हिंदी भाषी राज्यों का मानना है कि त्रिभाषा फार्मूला हिंदी को अन्य भाषाओं पर थोपने का एक तरीका है। वही समर्थकों का मानना है कि अंग्रेजी की बजाय क्षेत्रीय भाषाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों और प्रतिष्ठित विद्यालयों में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती रही जिससे स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। शिक्षकों की कमी, तीन भाषाएं सीखने का अतिरिक्त बोझ और राज्यों में भाषायी विविधता के कारण क्रियान्वयन में कठिनाई भी अन्य व्यावहारिक समस्याएं हैं। इसके अलावा तीन भाषाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाइयां भी एक बड़ा मुद्दा रही है।[4]

वर्तमान स्थिति

लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भाषा को माना जाता है लेकिन हाल ही में यह एक जुबानी जंग का कारण बन गई है, जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रही है। मामला यह है कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया है और इसका कारण यह बताया है कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहले से ही दो भाषा की नीति लागू है

जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषाओं की नीति है हालांकि इस नीति में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए बल्कि कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार इसे एक तरह से हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रही है। बात यह भी है कि अगर राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करती है तो केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती का संकेत दिया गया है। जिसे तमिलनाडु सरकार ब्लैकमेलिंग के रूप में देख रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हिंदी सिर्फ मुखौटा है केंद्र सरकार की असली मंशा संस्कृत थोपने की है। उन्होंने कहा कि हिंदी के कारण उत्तर भारत में अवधि ब्रज जैसी कई भाषाएं लुप्त हो गई है। यह भी ध्यातव्य है कि त्रिभाषा फार्मूले का विरोध सिर्फ तमिलनाडु या दक्षिण भारत के राज्य नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी कर रहे हैं। वैसे इस विवाद ने अब भाषा से बढ़कर उत्तर-दक्षिण के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया है अब भाषा को लेकर विवाद केवल शिक्षा नीति तक ही सीमित नहीं है।

SKU SHODH शोध संचार SANCHAR

सुझाव

शिक्षा जैसे मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच रचनात्मक बातचीत और व्यावहारिक समझौता हो सकता है जिसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर टकराव से केवल नुकसान ही हो सकता है। त्रिभाषा फार्मूला लागू करने में समझ यह थी कि हिंदी वाले मलयालम या मराठी सीख सकेंगे यही दूसरी भाषा वाले भी करेंगे। परंतु पिछले 60 वर्षों का इतिहास यह बतलाता है कि कन्नड़ और मलयालम क्षेत्र वालों ने तो हिंदी सीखी लेकिन हिंदी इलाकों के लोगों ने और कोई भाषा सीखना जरूरी नहीं समझा। अतः किसी भी भाषा को अनिवार्य बनाने के बजाय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए भाषा चयन का अधिकार पूरी तरह से छात्रों और अभिभावकों पर छोड़ जाना चाहिए। जबरन थोपने के बजाय भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। सभी भाषाओं के शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाए। भाषाई शिक्षा में डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाए। सभी राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला को समान रूप से लागू किया जाए।[5]

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor SJIF 2025 – 5.306
अंक-3, खण्ड-3, जुलाई - सितम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

निष्कर्ष

भारत जैसे बहुभाषी देश में त्रिभाषा फार्मूला एक महत्वपूर्ण भाषायी नीति है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समानता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। यदि इसे लचीले दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए तो यह भाषा सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगा और राष्ट्र की एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह फार्मूला तभी सफल हो पाएगा जब इसे राजनीतिक विवाद से अलग रखते हुए व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए।

सन्दर्भ

1. लाल रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं, रस्तोगी पब्लिकेशन पृष्ठ संख्या 383
2. मदान पूनम, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास तथा समस्याएं, अग्रवाल पब्लिकेशन पृष्ठ संख्या 270
3. गुप्ता एस पी, भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन।
4. प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका जून 2025 पृष्ठ संख्या 105
5. अमर उजाला पृष्ठ संख्या 4 मार्च 2025

SKU SHODH SANCHAR